टी०ए०मिस० केस सं0 165/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
17/12/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री सोमा तियु, पिता– स्व० रांकु तियु, निवासी ग्राम– अमिता, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– डिलियामार्चा थाना नं०– 108 के अन्दर खाता नं०– 151 प्लॉट नं०– 2674 रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता श्री डाक्टर पाडेया पिता– नाथों पाडेया, ग्राम– बडा चिरू, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम सें ना0 मु0 सं0 517/2015–16 के द्वारा नामान्तरित हैं। आवेदकों का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 860, दिनांक– 14.12.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री डाक्टर पाडेया पिता– नाथों पाडेया, ग्राम– बडा चिरू, थाना– मुफ्फसिल के पास 6,00,000.00/–(छ लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री सोमा तियु, पिता– स्व० रांकु तियु, निवासी ग्राम– अमिता, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्री डाक्टर पाडेया पिता– नाथों पाडेया, ग्राम– बडा चिरू, थाना– मुफ्फसिल के पास जमीन को 6,00,000.00/–(छ लाख) रूपये में मौजा– डिलियामार्चा थाना नं०– 108 के अन्दर खाता नं०– 151 प्लॉट नं०– 2674 रकवा– 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 17/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	(हस्ताक्षर) 17/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner